प्रकरण संख्या 21/2014 भगु बनाम प्रभुलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2019	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस पर मनन किया गया व पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2014 को अंतिम डिक्री जारी की है तथा दिनांक 09.05.2013 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की है। प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की अंतिम डिक्री के विरूद्ध इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 09.07.2014 को पेश की है। दफा 5 के आवेदन व शपथ पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाती है। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा उक्त अपील में अपीलान्ट ने प्रारम्भिक डिक्री को अवैध व शून्य बताया है तथा तहसीलदार के विभाजन के प्रस्तावों को ज्यों का त्यों अपने निर्णय में अंकित करना बताते हुए मौके पर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाने का कथन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताया है। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपील अपीलान्ट द्वारा अलग से इस न्यायालय में अपील संख्या 22/2014 प्रस्तुत की गयी है अतएवं प्रारम्भिक डिक्री पर हम इस अपील में किसी प्रकार का विवेचन करना उचित नहीं समझते हैं। प्रकरण में जहां तक प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09.05.2013 के सन्दर्भ में प्राप्त विभाजन प्रस्तावों का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट होता है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार के हस्ताक्षर शुदा तथा सरपंच के हस्ताक्षर शुदा उपलब्ध है। पर्चा मौके में यह सुस्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित। तद्नुसार अपीलान्ट/प्रतिवादी को सूचित किया जाना प्रकट है तथा मौके पर तहसीलदार स्वयं द्वारा मौतविरान के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के आधार पर प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित की गयी है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.04.2014 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

<u>प्रकरण संख्या 21/2014 भगु बनाम प्रभुलाल</u>